18 नवंबर, 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 43वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 43.1 : एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति

09 अप्रैल, 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि एसईजेड में प्लास्टिक की रिप्रोसेसिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। तद्नुसार, 16 सितंबर, 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रारूप नीति रखी गई। अनुमोदन बोर्ड ने रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा राजस्व विभाग उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मद को आस्थगित करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामला पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.2 (क) : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का रिफंड

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर का रिफंड प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 9/2009-सेवा कर दिनांक 3 मार्च 2009 जारी की गई, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अधिकृत प्रचालनों (एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत यथापरिभाषित) के संबंध में प्रदान की जाती हैं और एसईजेड के विकासक या यूनिटों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उक्त कराधेय सेवाएं एसईजेड के अंदर प्रदान की जाती हैं या नहीं। इसके बाद रिफंड रूट का अनुसरण किए बगैर एसईजेड के अंदर उपभोग की गई सेवाओं के लिए शर्त रहित छूट प्रदान करने के लिए उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 15/2009-सेवा कर दिनांक 3 मार्च 2009 को संशोधित करने के लिए अधिसूचनाव संख्या 15/2009-सेवा कर दिनांक 20 मई 2009 जारी की गई और इस प्रकार सेवा प्रदाता द्वारा पहले कर का भुगतान करने और फिर विकासक / यूनिट द्वारा उसके रिफंड का दावा करने की आवश्यकता समाप्त की गई। इस प्रकार रिफंड के रूप में छूट केवल ऐसी स्थितियों तक सीमित थी जब एसईजेड को प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का उपभोग आंशिक रूप से या पूर्णत: एसईजेड के अंदर होता है।

जहां रिफंड का दावा करने की आवश्यकता होती है, सीबीईसी का परिपत्र संख्या 114/2009-सेवा कर दिनांक 20 मई, 2009 यह अपेक्षा करता है कि रिफंड के दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :

1. **अनुमोदन समिति के अनुमोदन के अनुसार एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में अपेक्षित निर्दिष्ट सेवाओं की सूची की प्रति;**
2. **सेवा कर के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज**

सीबीईसी का परिपत्र यह भी कहता है कि सेवा कर रिफंड की देय राशि का 80 प्रतिशत रिफंड का दावा दाखिल किए जाने के 15 दिन के अंदर एसईजेड के विकासक या यूनिट को तदर्थ अंतरिम रिफंड के रूप में इस शर्त के अधीन संस्वीकृत किया जाना है कि रिफंड का दावा पूर्ण है तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं। परिपत्र यह भी कहता है कि रिफंड के दावों को रिफंड का दावा दाखिल किए जाने की तिथि से 30 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा हर हाल

में रिफंड का दावा दाखिल किए जाने की तिथि से 45 दिन के बाद अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

एसईजेड के लिए सेवा कर के रिफंड की इस व्यवस्था में एक बुनियादी समस्या है। सामान्यतया रिफंड के दावे सेव प्रदाताओं द्वारा किए जाने चाहिए। तथापि, यहां रिफंड के दावे सेवाओं के प्रयोक्ताओं (एसईजेड विकासक / यूनिट) द्वारा दाखिल किए जाते हैं। सीबीईसी का अनुदेश कहता है कि रिफंड के दावे के समर्थन में सेवा कर के भुगतान का साक्ष्य प्रदान करने वाले दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज केवल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं जो भुगतान करते हैं। वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार सेवा प्रयोक्ता के लिए सेवा कर का सीधे भुगतान करना संभव नहीं है। सेवा प्रदाता उनसे एकत्र किया गया सेवा कर जीएआर-7 चालान के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करते हैं। उनके द्वारा जमा किए गए सेवा कर में एसईजेड यूनिट / विकासक तथा अन्य डीटीए सेवा प्राप्तकर्ताओं से सेवा प्रदाता द्वारा वसूला गया सेवा कर शामिल हो सकता है।

एसईजेड में यूनिटों के लिए जीएआर-7 चालान की प्रतियां प्राप्त करना कठिन हो रहा है जिसके माध्यम से सेवा प्रदाता उनसे एकत्र किया गया सेवा कर सरकारी खाते में जमा करता है (सेवा कर के भुगतान का साक्ष्य प्रदान करने वाला दस्तावेज)। इस दस्तावेज के बगैर क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी एसईजेड की यूनिटों / विकासकों द्वारा दाखिल किए गए सेवा कर रिफंड के दावों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं।

अत: सुझाव है कि राजस्व विभाग ऐसी प्रक्रिया लागू करने पर विचार करे जिसमें सेवाओं के प्रयोक्ता / प्राप्तकर्ता के रूप में एसईजेड की यूनिटें / विकासक सरकारी खाते में सीधे सेवा कर जमा कर सकें। इसके बाद एसईजेड यूनिट / विकासक सेवा प्रदाता को सेवा कर का भुगतान करने की बजाय सेवा प्रदाता को चालान की प्रति देगा। यह कार्यविधि सरकार के हितों की रक्षा करेगी और साथ ही एसईजेड की यूनिटों / विकासकों को सेवा कर के शीघ्रता से रिफंड को भी सुगम बनाएगी। 16 फरवरी, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया जिसमें इसे आस्थगित कर दिया गया तथा निर्णय लिया गया कि अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व राजस्व विभाग अपनी राय प्रस्तुत करे।

मद संख्या 43.2 (ख) : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर से छूट

हैदराबाद में खुली बैठक के दौरान, विकासकों एवं यूनिटों द्वारा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर सेवा कर से छूट से संबंधित मुद्दा उठाया गया। हालांकि एसईजेड नियमावली का नियम 31 सेवा कर से छूट का प्रावधान करता है, परंतु इसे एसईजेड के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया और एसईजेड के अंदर प्रदान की गई सेवाओं के लिए छूट से प्रतिस्थापित किया गया है। विकासकों एवं यूनिटों ने प्रतिपूर्ति का दावा करने में अपनी कठिनाइयां व्यक्त की तथा सेवाएं अंदर या बाहर प्राप्त किए जाने पर ध्यान दिए बिना एसईजेड नियमावली में प्रावधान के अनुसार छूट प्रदान करने की मांग की। अनुवर्तन के रूप में 05 अक्टूबर, 2010 को वाणिज्य विभाग में डीजीईपी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि इस मुद्दे पर राजस्व विभाग के टीआरयू द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया

गया कि मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा जिसमें टीआरयू के प्रतिनिधियों से अपेक्षित इनपुट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

मद संख्या 43.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्य एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, ने लगभग 175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरफील्ड पेवमेंट संचार एवं नैविगेशन ऐड्स, विजुअल ऐड्स, यात्री एवं कार्गो टर्मिनल तथा उपकरण, सहायता सेवाओं, वेयरहाउसिंग की सुविधाओं तथा एमआरओ सुविधाओं सहित एयरपोर्ट तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 16 सितंबर, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया जिसमें राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्ताव पूर्ण विकसित इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए है जो कार्गो एवं यात्री दोनों को हैंडल करेगा। यह देखते हुए मुंद्रा एसईजेड में कस्टम स्टाफ का घटक बहुत छोटा है, वे एसरपोर्ट को संभालने में समर्थ नहीं होंगे। इसके अलावा, एयरपोर्ट डीटीए एवं एसईजेड कार्गो को हैंडल करेगा और यदि यह प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, तो कार्गो को संभालना राजस्व प्राधिकारियों के लिए मुश्किल होगा। विचार-विमर्श के बाद, निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग अपने विचारों को स्पष्ट करे तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करे।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त एसईजेड 6472.8684 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा मालगोदाम की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुरोध किया है। 16 सितंबर, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि चूंकि राजस्व विभाग को इस प्रस्ताव पर आपत्ति है इसलिए बेहतर होगा कि वे कार्रवाई की दिशा भी बताएं। विचार-विमर्श के बाद, निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग अपने विचारों को स्पष्ट करे तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करे। इस संबंध में सदस्य (सीमा शुल्क) से संचार प्राप्त हो गया है जिन्होंने प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की थी। सदस्य (सीमा शुल्क) से प्राप्त संचार की प्रति अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

05 अक्टूबर, 2010 को वाणिज्य विभाग में अनुवर्तन बैठक हुई और इस बात पर सर्वसम्मति थी कि एसईजेड कार्गो और डीटीए कार्गो को अलग करने तथा एसईजेड के सीमा शुल्क प्राधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दोनों का आकलन किए जाने की दृष्टि से मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम चंगी, तालुक उरान, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में मैसर्स कजारिया इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चिपलून एफटीडब्ल्यूजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम चंगी, तालुक उरान, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में 40.02.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कजारिया इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स चिपलून एफटीडब्ल्यूजेड प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के 40.02.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 13 जुलाई, 2010 और इसका पूरक करार दिनांक 03 सितंबर, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।

(iv) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स कल्यानी ग्लोबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कल्यानी ग्लोबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों का संचालन करके अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 16 सितंबर, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक करार सह विकासक के स्टेटस को ठीक से नहीं दर्शा रहा है। विकासक ने विकासक और सह विकासक के बीच संशोधित सह विकासक करार दिनांक 30 सितंबर, 2010 प्रस्तुत किया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.4 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) आईटी प्लॉट (आईआईएफ/3), एक्शन एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्राम रतनपुर और फिरोज़पुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 जनवरी, 2011 के

बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड (जीआईएफटीसीएल) का अनुरोध

(iii) ग्राम पेरुर, कोयंबटूर दक्षिण, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स राकिंडो कोवई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 43.5 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) पनवेल, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 10.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.035 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि अपेक्षित अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ii) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 14 जून, 2006 के माध्यम से 36.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 13 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ ध्यान से आगे की कार्यवाही के बावजूद इस एसईजेड परियोजना में शामिल वन भूमि के लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है जिसकी वजह से विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2010 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मद संख्या 43.6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत

1.	मैसर्स नांदेड़ एसईजेड लिमिटेड	रत्न और आभूषण, 50 हेक्टेयर	नादेड़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 25 जून 2007 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एलओए की वैधता अवधि 25 जून, 2010 तक बढ़ाई गई। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया कि उन्होंने नांदेड़ में औद्योगिक भूमि / अविकसित भूमि आवंटित करने के लिए एमआईडीसी से संपर्क किया है।

मद संख्या 43.7 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उपर्युक्त एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया :

- **(क) सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए मूलत: लगाई गई शर्त में ढील देना;**
- **(ख) अंडर पास के निर्माण की शर्त में ढील देना, जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षित संपर्क का सुझाव दिया है; और**
- **(ग) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उनके बहु उत्पाद एसईजेड में 7 मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के निर्माण के लिए अनुमोदन (उपर्युक्त (ख) के माध्यम से मांगी गई छूट को ध्यान में रखते हुए);**
- **(घ) प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच सन्निकटता स्थापित करने के लिए फ्लाईओवर के स्थान पर दो स्काई वाक को मंजूरी प्रदान करना।**

16 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया, विकासक ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है। राजस्व विभाग ने प्रस्ताव को आस्थगित करने की मांग की क्योंकि उनको संशोधित प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए और समय की आवश्यकता है। तद्नुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए लाया गया है।

मद संख्या 43.8 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) खर्दपाड़ा, नरौली, दादरा एवं नगर हवेली में 12.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली (ओआईडीसी) का अनुरोध

12.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि 30 जून,

2010 को आयोजित बोर्ड की 99वीं बैठक में ओआईडीसी के निदेशक मंडल ने प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकास न करने का संकल्प पारित किया है क्योंकि अब यह परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के कारण लाभप्रद नहीं है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) प्लॉट नंबर सी-22, फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, शेंद्रा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (मूलत: जैव प्रौद्योगिकी) के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

10.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी तथा डीटीसी के विभिन्न प्रावधानों जिनसे एसईजेड में यूनिटों द्वारा निवेश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है की प्रयोज्यता के संबंध में अनिश्चितता के कारण उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) प्लॉट नंबर सी-21, फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, शेंद्रा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फार्मास्युटिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी तथा डीटीसी के विभिन्न प्रावधानों जिनसे एसईजेड में यूनिटों द्वारा निवेश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है की प्रयोज्यता के संबंध में अनिश्चितता के कारण उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.9 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) बेल्लांडुर अमानी काने, एयरपोर्ट रोड के सामने, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से बेल्लांडुर अमानी काने, एयरपोर्ट रोड के सामने, बंगलौर, कर्नाटक में 19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। एलओए की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 तक है। अब विकासक ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल ने एसईजेड की विकास योजना का फिर से मूल्यांकन किया है तथा उनका यह मानना है कि विश्व की अर्थव्यस्थाओं

में चल रही अनिश्चितता और आईटी / आईटीईएस क्षेत्र पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण उपर्युक्त एसईजेड परियोजना का विकास करना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। हालांकि 2009 की मंदी के बाद कुछ सुधार हुआ है परंतु यह परियोजना को वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत एसईजेड में स्थापित यूनिटों के लिए करावकाश की उपलब्धता के संबंध में अनिश्चितता से भी आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थान के लिए मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि अनुमोदित एसईजेड में अभी तक विकास/ निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए उन्होंने कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडो ग्लोबल इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 21 नवंबर, 2008 के माध्यम से ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 13.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडो ग्लोबल इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक ने सूचित किया है कि वे एसईजेड की विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करने में असमर्थ हैं तथा एसईजेड परियोजना को निष्पादित करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.10 : वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 101.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 101.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विद्युत के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था।

विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई थी तथा पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2010 के माध्यम से विकासक को अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवगत कराया गया था। यह एसईजेड अभी तक विमुक्त नहीं किया गया है। विकासक का औचित्य अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.11 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) अंकलेश्वर के निकट पनोली, भड़ूच जिला, गुजरात में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अंकलेश्वर के निकट पनोली, भड़ूच जिला, गुजरात में 125.04.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 09 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	आवासीय 79946.24			
	(क) टाइप 1 – अपार्टमेंट बिल्डिंग	32	1454.44	46542.08
	(ख) टाइप 2 – अपार्टमेंट बिल्डिंग	48	695.92	33404.16
2.	वाणिज्यिक 10905.95			
	(क) सुविधाजनक शॉपिंग + कार्यालय + थिएटर	1	3144.24	3144.24
	(ख) होटल	1	7761.71	7761.71
3.	फेसिलिटी बिल्डिंग 11151.72			
	(क) सीमा शुल्क कार्यालय + बैंक + सामूहिक शयनकक्ष सहित जेबी एसईजेड का प्रशासनिक भवन	1	1486.57	1486.57
	(ख) शैक्षिक संस्थान / व्यावसायिक प्रशिक्षण / स्कूल	1	3646.15	3646.15
	(ग) स्वास्थ्य देखरेख केंद्र / अस्पताल	1	574.04	574.04
	(घ) ईंधन पंप	1	335.46	335.46
	(ड.) इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन	1	1189.00	1189.00
	(च) केंद्रीय सीवेज शोधन संयंत्र	1	2173.00	2173.00
	(छ) सहायक सुविधाओं के साथ ट्रक टर्मिनल 1. थाना 2. फायर स्टेशन 3. जलपान गृह + शौचालय ब्लॉक	 1 1 1	 600.00 337.50 810.00	1747.50

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है।

(ii) ग्राम कल्याणगढ़ एवं गनगड, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स और केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दिशमन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 13 नवंबर, 2009 को 106.83.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
	प्रसंस्करण क्षेत्र में			
1.	वाष्प उत्पादन संयंत्र और वितरण नेटवर्क	1	लागू नहीं	लागू नहीं
	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में			
2.	आवासीय फ्लैट			11760
	(i) ए टाइप फ्लैट	48	145	6960
	(ii) बी टाइप फ्लैट	48	100	4800
3.	अतिथि गृह	1	लागू नहीं	1000

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 43.12 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) अहमदाबाद, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए गुजरात औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

अहमदाबाद, गुजरात में 38.04.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के सेक्टर को 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए अनुरोध किया है। 08 जून, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया था जिसमें गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि अधिसूचित एसईजेड गुजरात सरकार का पूर्णत: स्वामित्व वाला उद्यम है। इस एसईजेड में स्थापित परिधान यूनिटें डीटीए यूनिटों की तुलना में अलाभप्रद हैं और जब तक सभी यूनिटें मौजूद हैंतब तक एसईजेड को विमुक्त नहीं किया जा सकता है। अत: अपेक्षित सहूलियत स्तर प्रदान करने के लिए, सेक्टर को 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि यह अनुबंध 2 का मामला है जहां न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता मात्र 38 हेक्टेयर है और एसईजेड नियमावली में संशोधन के बिना विकासक के अनुरोध के अनुसार सेक्टर बदलने पर विचार नहीं किया जा सकता है। चूंकि एसईजेड नियमावली के अनुबंध 2 के कॉलम (3) के क्रमांक 3 (अनुबंध 6) में "वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं" शब्द को "परिधान" शब्द से बदलकर एसईजेड को संशोधित किया गया है, इसलिए अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) सूरत, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए गुजरात औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

सूरत, गुजरात में 56.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 जून, 2005 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के सेक्टर को 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुओं' करने के लिए अनुरोध किया है। जिन आधारों पर सेक्टर बदलने के लिए अनुरोध किया गया है वे उपर्युक्त (i) में उल्लिखित आधारों के समान हैं क्योंकि दोनों मामलों में विकासक समान है। यह भी अनुबंध 2 का मामला है। चूंकि उपर्युक्त के अनुसार एसईजेड को संशोधित किया गया है, इसलिए अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित संबद्ध उद्योगों को शामिल करके "खाद्य प्रसंस्करण" के लिए एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

टूटीकोरीन के पास, तमिलनाडु में 119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ''खाद्य प्रसंस्करण'' के लिए उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने संबद्ध उद्योगों जैसे कि पैकेजिंग उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उपकरण विनिर्माताओं को शामिल करने के लिए सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि यूनिटें स्थापित करने के लिए उन्हें खाद्य उद्योग के लिए पैकेजिंग सामग्रियों के विनिर्माताओं, पैकेजिंग मशीनरी विनिर्माताओं तथा खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी विनिर्माताओं से भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा, एसईजेड में ऐसी यूनिटों की उपस्थिति ऐसे उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, एसईजेड में ऐसी कंपनियों की उपस्थिति से प्रयोक्ता उद्योग को काफी लाभ होगा तथा एसईजेड के अंदर स्थित यूनिटों की आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा ये कंपनियां दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व, एशियाई क्षेत्र आदि जैसे देशों को निर्यात करने और बहु मूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी समर्थ होंगी।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह कहते हुए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है कि संबद्ध उद्योगों जैसे कि पैकेजिंग उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मशीनरी विनिर्माताओं को शामिल करने से एसईजेड में यूनिटों को अपना प्रचालन शीघ्रता से आरंभ करने में सहायता मिलेगी क्योंकि उनको एसईजेड के अंदर मशीनरी एवं पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। इससे उद्योग से संबद्ध और यूनिटों के आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाएगी और परिणामत: एसईजेड से निर्यात में वृद्धि होगी।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.13 : नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का थर्मल राख से बने ब्रिक एवं ब्लॉक के डीटीए में व्यापार पर निषेध की शर्त हटाने के लिए अनुरोध

नासिक, महाराष्ट्र में 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में 1350 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। 08 जून, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सह विकासक को अन्य बातों के साथ अधिकृत प्रचालन के रूप में 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में राख के उपयोग एवं सज्जीकरण जैसे कि ब्रिक एवं ब्लॉक निर्माण संयंत्र के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई थी कि सह विकासक थर्मल राख से निर्मित ब्रिक एवं ब्लॉक का व्यापार डीटीए में नहीं करेगा।

अब सह विकासक ने थर्मल राख से निर्मित ब्रिक एवं ब्लॉक के डीटीए में व्यापार पर निषेध की शर्त को हटाने के लिए अनुरोध किया है। सह विकासक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है। 16 सितंबर, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा निर्णय लिया गया कि अनुमोदन बोर्ड इस प्रस्ताव पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगा तथा उस समय तक अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए राजस्व प्राधिकारी संभावित समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

मद संख्या 43.14 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड को 19 जुलाई, 2006 को पुन: अधिसूचित किया गया। एलओए दिनांक 21 अगस्त 2009 के माध्यम से मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में सह विकासक को निम्नलिखित के अधीन एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के रूप में 60 बिस्तर वाला अस्पताल (जिसका क्षेत्रफल 4010 वर्गमीटर होगा) स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी।

(क) अस्पताल केवल इस एसईजेड के स्टाफ, आसपास के एसईजेड के स्टाफ तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा;
(ख) उपर्युक्त श्रेणी के अलावा किसी बाहरी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा; और
(ग) नोकिया एसईजेड, विकासक को इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवश्य अवगत कराया जाएगा ताकि अनुमोदन की मूल भावना बनी रहे।

अब विकासक ने यह कहते हुए उपर्युक्त शर्तों में ढील प्रदान करने का अनुरोध किया है कि यह उनकी व्यावसायिक चिकित्सा नैतिकता में दखल है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और प्रचालन से जुड़ी गंभीर कमियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। 09

अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त अनुरोध पर विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया था तथा निदेश दिया कि शर्तों में ढील प्रदान करने के लिए सह विकासक से विस्तृत औचित्य प्राप्त किया जाए जिसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि नोकिया जैसा विशाल एसईजेड तथा आसपास के अन्य एसईजेड पर्याप्त पेशेंट लोड प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं। विकासक ने अब शर्तों में ढील देने के लिए औचित्य प्रस्तुत किया है (अनुबंध 8)। 16 सितंबर, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया था तथा अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचारण को आस्थगित करने का निर्णय लिया ताकि प्रस्ताव का अधिक बारीकी से अध्ययन किया जा सके और निदेश दिया कि इसकी अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्ताव प्रसतुत किया जाए।

विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.15 : चारदीवारी के निर्माण के अनुमोदन के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लिमिटेड द्वारा हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कटीले तार की फेंसिंग वाली 1.8 मीटर ऊंची चारदीवारी तथा 2 इंट्री / एग्जिट प्वॉइंट के निर्माण के लिए अनुरोध

12.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से कटीले तार की फेंसिंग वाली 1.8 मीटर ऊंची चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 2 प्रवेश / निकास बिंदुओं के अनुमोदन के लिए भी अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11 (2) का हवाला दिया है तथा सिफारिश की है कि विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

मद संख्या 43.16 : दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिटें स्थापित करने के लिए अनुरोध

(i) इंदौर एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रकाश ओवरसीज का अनुरोध

विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने मैसर्स प्रकाश ओवरसीज जो इंदौर एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए एक साझेदारी फर्म है, के अनुरोध को अग्रेषित किया है। विकास आयुक्त ने कहा है कि यूनिट से प्राप्त आवेदन तथा अन्य संबद्ध दस्तावेजों के अनुसार यह ग्रुप 35 साल से अधिक समय से इस व्यापार से जुड़ा है तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, अफ्रीका, दुबई आदि से दालों का पहले से ही आयात कर रहा है। इसके अलावा ग्रुप ने दावा किया है कि वे दालों के निर्यात पर रोक लगने से पूर्व निर्मित दालों का निर्यात कर रहे थे। यूनिट ने यह भी बताया है कि यूनिट स्थापित करने का प्रयोजन पूरी दुनिया से विभिन्न स्रोतों से कच्चे माल का आयात करना और उपभोक्ता केंद्रों को मूल्यवर्धित दालों का निर्यात करना है। विकास आयुक्त ने बताया है कि अनुमोदन समिति की बैठक में मैसर्स प्रकाश ओवरसीज के अनुरोध पर विचार किया गया था तथा समिति ने अनुमोदन के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड को संदर्भित करने का निर्णय लिया था। अनुमोदन बोर्ड को

यह विचार करना है कि क्या मैसर्स प्रकाश ओवरसीज को दालों के निर्यात के लिए दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 09 अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ये बहुत संवेदनशील उत्पाद्य हैं और इन उत्पादों के आयात एवं निर्यात के लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। ऐसी नीति के उपलब्ध न होने तक, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्रकाश ओवरसीज के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

उल्लेखनीय है कि 07 सितंबर, 2010 को एसईजेड नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा एसईजेड नियमावली के नियम 27 (1) के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक शामिल किया गया है :
''परंतु यह भी कि अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में बाहर से बाहर किसी स्थान से विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों का आयात किया जा सकता है'',

उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए दालों के आयात, प्रसंस्करण, व्यापार एवं निर्यात के लिए आईएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रकाश ओवरसीज का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड ने उपर्युक्त एसईजेड में 6000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाली दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को अग्रेषित किया है। विनिर्मित और निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पाद आईटीसी (एचएस) कोड – 0713 के अनुसार निषिद्ध मदें हैं। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुरोध किया है कि विचार करने के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड से प्राप्त विस्तृत एजेंडा मद अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है।

(iii) महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास प्राधिकरण (एमएडीसी) द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स डाइट फूड्स इंटरनेशनल का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने उपर्युक्त एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स डाइट फूड्स इंटरनेशनल के अनुरोध को अग्रेषित किया है। चूंकि विनिर्मित और निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पाद निर्यात के लिए निषिद्ध मदें हैं, इसलिए विकास आयुक्त ने अनुरोध किया है कि विचार करने के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड से प्राप्त विस्तृत एजेंडा मद अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है।

(iv) प्रसंस्कृत दालों, अनाजों, मसूर आदि के विनिर्माण तथा प्रसंस्कृत दालों, अनाजों, मसूर आदि के व्यापार के लिए कांडला एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने प्रसंस्कृत दालों, अनाजों, मसूर आदि के विनिर्माण तथा प्रसंस्कृत दालों, अनाजों, मसूर आदि के व्यापार के लिए कांडला एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया है कि फर्म की योजना विनिर्माण के लिए कच्चे माल या व्यापर के लिए निर्मित माल का आयात करने की है तथा कोई डीटीए क्रय या विक्रय नहीं किया जाएगा। फर्म लिमिटेड कंपनी है और उनकी प्रस्तावित परियोजना लागत 100 लाख रुपए है। 1213 लाख रुपए के निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ 11387 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा जावक के विरुद्ध 5 साल की अवधि के लिए प्रक्षेपित निर्यात का एफओबी मूल्य 12600 लाख रुपए है।

फर्म औपचारिक रूप से मैसर्स रामदेव एक्सपोर्ट्स के नाम से विख्यात थी और यह 1967 में निगमित रामदेव मसाला ग्रुप की कंपनी है। फर्म बहुत विख्यात है तथा इसने किचन एक्सप्रेस के ब्रांड नाम से भारतीय एवं विदेशी बाजार में मसालों, बधारों, ग्रोसरी, अचार, रेडी टू इट तथा फूड स्टफ के विनिर्माण / प्रसंस्करण / व्यापार, आयात / निर्यात में अनेक उद्यम स्थापित किए हैं।

फर्म ने भारतीय कृषि पैदावार को प्रभावित किए बिना अपने उत्पादों का आयात करने, प्रोसेस करने तथा निर्यात करने और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी प्रस्ताव किया है। फर्म ने यह भी कहा है कि उनके पास अपनी गतिविधियों के लिए निर्यात के दृढ़ आर्डर हैं।

06 अप्रैल, 2010 को आयोजित कांडला एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक में मैसर्स किचन एक्सप्रेस, अहमदाबाद के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा पत्र संख्या केएएसईजेड/आईए/2010-11 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के माध्यम से दालों एवं मसूर को छोड़कर मदों के विनिर्माण एवं व्यापार के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा समिति ने नोट किया कि दालें एवं मसूर संवेदनशील मदें है और अनुमोदन बोर्ड को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

इसलिए अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.17 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो फाल्टा एसईजेड में एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी संख्या ईईपीजेड/एलआईसी/एस-37/96/2600 दिनांक 18 अक्टूबर, 1996 के माध्यम से फाल्टा एसईजेड में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, रिप्रोसेस्ड प्लास्टिक एग्लोमरेट्स और ले फ्लैट ट्यूब के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यूनिट ने 14 सितंबर, 1999 को उत्पादन शुरू किया था। प्रचालन के 5 साल के दूसरे ब्लॉक के पूरा हो जाने पर, यूनिट ने 14 जुलाई, 1999 के बाद 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया था। 11 अगस्त, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा 14 जुलाई, 1999 से एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

यूनिट ने 5 साल के तीसरे ब्लॉक की शेष 4 साल की अवधि के लिए अपने एलओपी के नवीकरण के लिए फाल्टा एसईजेड से पुन: अनुरोध किया है। यूनिट ने अपने संख्या रहित पत्र 01 सितंबर, 2009 के माध्यम से वित्त वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसके आधर पर यूनिट का 0निष्पादन निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात (कुल बहिर्प्रवाह)	एनफई
2009-10	2035.35	1672.93	362.42

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने बताया है कि यूनिट पिछले 11 साल से लगातार कार्य कर रही है और 500 मजदूरों को रोजगार दिया है। इसलिए विकास आयुक्त ने 14 जुलाई, 2010 से चार साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 13 जुलाई, 2014 तक एलओपी की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.18 : एक एसईजेड से यूनिटों को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

डाटा प्रसंस्करण (सॉफ्टवेयर निर्यात) की सेवाएं प्रदान करने के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 23 फरवरी, 2005 प्रदान किया है। यूनिट ने नोएडा एसईजेड में कुल 670 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में अपना प्रचालन स्थापित किया है। यूनिट ने कहा है कि इसने 01 जून, 2006 को प्रचालन आरंभ कर दिया था और 31 मार्च, 2010 तक कुल 323.67 लाख रुपए का निवेश किया है, 64410.14 लाख रुपए का निर्यात किया है और 349 व्यावसायिक स्टाफ को काम पर रखा है। यह भी बताया गया है कि 31 मार्च, 2010 तक 59032.62 लाख रुपए का एनएफई प्राप्त किया गया है।

यूनिट ने कहा है कि यह भारत में अपने वर्तमान व्यवसाय के विस्तार के लिए नए कर्मचारियों को काम पर रखना चाहती है। चूंकि मौजूदा क्षेत्र से वर्तमान आवश्यक्ताएं पूरी नहीं होंगी इसलिए यह अपने लोकेशन को नोएडा एसईजेड से गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करना चाहती है। इसके अलावा, गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट हो जाने से उसे यह लाभ होगा कि उसे उक्त एसईजेड द्वारा प्रदान की जा रही विश्व स्तरीय अवसंरचना तथा अतिरिक्त स्थान मिल जाएगा जो इस समय नोएडा एसईजेड में उपलब्ध नहीं है। यूनिट द्वारा प्रस्तावित अंतरण के लिए प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 11 के रूप में संलग्न है। यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.19 : चार साल के बाद एक साल की अवधि के लिए मैसर्स उकाल फ्यूल सिस्टम्स लिमिटेड के एलओपी का नवीकरण

मैसर्स उकाल फ्यूल सिस्टम्स लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड की एक यूनिट है, को रॉकेट आर्म इनलेट, रॉकेट आर्म एग्जॉस्ट, बॉडी रोलर टैपेट और जीएम शाफ्ट के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 31 जुलाई, 2006 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट के एलओपी की अवधि तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जुलाई, 2010 तक वैध थी।

यूनिट ने यह कहते हुए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से एलओपी की अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि यह यूएस आटोमोबाइल बाजार में मंदी के कारण कठिन परिस्थिति से गुजर रही है क्योंकि इसके संयंत्र यूएस में और भारत में हैं। यूनिट ने यह भी कहा है कि बाजारों में तेजी आने के कारण निर्यात के कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है, इसलिए इसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा अप्रैल 2011 तक निर्यात करने की योजना बनाई है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 19(4) केवल अधिकतम 3 साल (पहली बार 2 साल तथा कुछ शर्तों के अधीन 1 और साल) प्रावधान करता है। नियम 19(5) यह प्रावधान करता है कि नियम 19(4) के तहत प्रदान की वैधता के बाद मंजूरी पत्र को कालातीत समझा जाएगा।

अतीत में, विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी को ध्यान में रखते हुए हमने 01 मार्च, 2009 से 28 फरवरी, 2010 (दोनों तिथियां शामिल हैं) के बीच समाप्त होने वाले एलओपी के संबंध में चार साल के बाद एक साल का सामान्य विस्तार प्रदान किया था।

यूनिटों की समान कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 19(4) संशोधित किया गया है और चार साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड शक्ति प्रदान की गई है। प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना शीघ्र जारी होने की उम्मीद है।

इस खास मामले में, यूनिट द्वारा उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए 01 अगस्त, 2010 से एक साल के लिए यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाई गई है। मामला पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 43.20 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 200000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आवासीय अपार्टमेंट (1250 यूनिट) के निर्माण के

लिए विकासक को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की है कि आवासीय अपार्टमेंट केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होंगे। केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध पर 8 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था तथा अस्वीकार कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के बारे में विकासक को पत्र दिनांक 21 जून 2010 के माध्यम से सूचित किया गया था। अब विकासक ने 8 जून 2010 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल की है।

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि पिछले कई मामलों में, केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा इन अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त पर बल दिए बिना आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तथापि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड का यह अभिमत था कि 1250 यूनिटों की अनुमोदित मात्रा बहुत अधिक है और निदेश दिया कि विकास आयुक्त संख्या की समीक्षा करें और अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष फिर से प्रस्तुत करें। 16 सितंबर, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने वीएसईजेड को विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है (अनुबंध 12)। इसलिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड के आदेश के खिलाफ मैसर्स मसोर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स मसोर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड मफैसिस लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और पूरी दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनियों को मूल्यवर्धित ध्वनि एवं लेनदेन आधारित संपर्क केंद्र तथा व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी है। अपीलकर्ता ने 18 अगस्त, 2010 को विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड के समक्ष आवेदन दाखिल किया था जिसमें मिलेनिया 6 बिल्डिंग, मर्फी रोड, बंगलौर में स्थित कंपनी की एक मौजूदा यूनिट से अंतरित किए जाने वाले निवेश के साथ 85.141 वर्ग फीट (इसमें जलपान गृह का क्षेत्र शामिल नहीं है) की एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने की मांग की गई थी। मिलेनिया 6 बिल्डिंग, मर्फी रोड, बंगलौर में स्थित उक्त यूनिट भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (एसटीपीआई योजना) के तहत पंजीकृत थी।

विकास आयुक्त को एक पत्र सौंपा गया जिसमें यह कहा गया था कि मौजूदा एसटीपीआई यूनिट की परिसंपत्तियां प्रस्तावित एसईजेड यूनिट में अंतरित की जाएंगी और यह भी बताया गया कि इस बात को देखते हुए कि अंतरित करने के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों की मात्रा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा कक के प्रावधानों के तहत निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक होन की संभावना है, प्रस्तावित एसईजेड यूनिट में संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यवसाय के लिए कोई प्रत्यक्ष कर लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा। कंपनी द्वारा पत्र वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 11 दिनांक 12 अगस्त, 2009 के अनुसरण में दाखिल किया गया।

तथापि, विकास आयुक्त द्वारा पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2010 के माध्यम से कंपनी का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया तथा अन्य बातों के साथ कहा गया कि मौजूदा नियम / दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा एसटीपी व्यवसाय को एसईजेड में पूर्णतया अंतरित करने के आपके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष आवेदन को रखे बिना उसे अस्वीकार किए जाने से व्यथित अपीलकर्ता ने 07 सितंबर, 2010 को विकास आयुक्त के समक्ष एक पत्र दाखिल किया जिसमें निम्नलिखित सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया :

- **क्या अपीलकर्ता के एसईजेड यूनिट के लिए आवेदन को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था?**
- **यदि एसईजेड यूनिट के लिए आवेदन को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था, तो कृपया विशिष्ट कारणों एवं एसईजेड 2005 ("एसईजेड अधिनियम") एवं एसईजेड नियमावली, 2006 के प्रावधानों के बारे में बताएं जिनके तहत एसईजेड यूनिट स्थापित करने के आवेदन को अस्वीकार किया गया, जैसा कि एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के परंतुक के तहत अपेक्षित है।**

इस संबंध में अपीलकर्ता ने न तो कोई जवाब प्राप्त किया है और न ही 13 सितंबर, 2010 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक के समक्ष एसईजेड यूनिट स्थपित करने के लिए उसके अनुरोध को रखा गया है।

उपर्युक्त कारणों से व्यथित कंपनी ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष यह अपील की है।

(i) मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लिमिटेड द्वारा हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अतिरिक्त चारदीवारी के लिए अनुरोध

12.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से कटीले तार की फेंसिंग वाली 1.8 मीटर ऊंची चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 2 प्रवेश / निकास बिंदुओं के अनुमोदन के लिए भी अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11 (2) का हवाला दिया है तथा अनुरोध किया है कि विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

*****